092111800
xxx

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

पंजीकृत विशेष मूद्रा प्राधिकार

23

क्र: पेन्शन/राहत/ 474

दिनांक: 13/7/17

प्रति,

01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र–5, कोषालय भवन, तीज़ हज़ारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110124
02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद–500463
03 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) अरूणाचल प्रदेश, ईटा नगर–791111
04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी–781029
05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–।। बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना–800001
06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009
07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट न.–4 एवं 5, सेक्टर 33–बी, चंडीगढ़–160047
08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला–171003
09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्ज़ीबीशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर–190009
10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.–डोरंडा, राँची–834002
11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.–5329/5369 बैंगलोर–560001
12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.–5607, एम.जी. रोड, तिरूवनंथपुरम–695039
13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–।। मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर–474002
14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–।। महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर–440001
16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मनिपुर, इम्फाल–795001
17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलाँग–793001
18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिज़ोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐज़वल–796001
19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा–797001
20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर–751001
21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17–ई, चंडीगढ़–160017
22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर–302005
23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली पी.ओ.–टाडोंग, गंगटॉक–737102
24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई–600018
25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.–कुंजाभवन, अगरतला–799006
26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तराँचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून–248171
27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद–211001
28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक–2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता–700001
29 कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
30 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
31 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), तेलंघाना, सैफाबाद, हैदराबाद–500463

19

विषयः छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत् स्वीकार करने के संबंध में।

संदर्भः छ.ग. शासन वित्त निर्देश 28/2017 क्र: 285/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार दि: 21/06/2017

संदर्भित निर्देशों, जो की वेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** से डाउनलोड किये जा सकते हैं, का पालन करने एवं अपने अधिनस्थ सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्नः संदर्भित निर्देश की प्रतियां।

OGP

(MKKulshrestha)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

पृ.क्रः पेन्शन/राहत/

दिनांकः

1. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को उनके पत्र क्रः 311 दिः 05/07/2017 के साथ संलग्न संदर्भित निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की सूचना।

–Sd–
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

प्रधान महालेखाकार (ले एवं ह) का कार्यालय
O/o. the Prl. Accountant General (A&E),
INWARD
21 JUL 2017
No.
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना
Andhra Pradesh & Telangana

O/o Prl. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
24-JUL-17
4 8 1 2 0 7
481207

वित्त निर्देश 28/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 285/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 21 जून, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 84/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 22 फरवरी, 2017 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.07.2016 से 132 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-01-2017 से (माह जनवरी, 2017 की पेंशन/परिवार पेंशन जो माह फरवरी, 2017 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 136 प्रतिशत

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी

स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी. 6/10/77/नि -2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

3/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये है ।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

21/06/2017

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANACE DEPARTMENT
MANTRALAYA, MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

No.285/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Naya Raipur, Dated 21 June 2017

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Commissioners of Divisions
All Heads of Department
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub - Sanction of dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Chhattisgarh.

The State Government had sanctioned 132 % dearness relief w.e.f. 01-07-2016 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 84/F-2013-04-00416/Fin/Rule/IV, dated 22 February, 2017. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01-01-2017 (Pension/family pension for the month of January 2017 paid in February 2017)	136% of Pension/family pension

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been

appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.

3. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

4. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board/Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's Memo No. 144/97/F/R/IV/2007, dated 05-06-2007.

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

21/06/21

(S.K. Chakraborty)
Joint Secretary

पृ.क्र. 286/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 21 जून, 2017

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220
5. सचिव, लोक आयोग / छ.ग., लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
9. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
10. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी / पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
20. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंटस, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई 400051
21. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
22. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात 382010
23. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
24. वित्त सचिव, असम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001.
25. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
26. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
27. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरूवनन्तपुरम 695039

28. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
29. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
30. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001
31. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001
32. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
33. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
41 वित्त सचिव, मेघालय शासन, मंत्रालय, शिलोंग 793001
42 वित्त सचिव, मिजोरम शासन, मंत्रालय, एजवाल 796001
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
46. वित्त सचिव, तेलंगाना शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
47. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
48. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
49. वित्त सचिव, गोवा दमन एवं दीव शासन, मंत्रालय पणजी, गोवा 403101
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल, सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
52. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
53. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्धप्रदेश, हैदराबाद 500463
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793001
55. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
56. प्रधान महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना 800001
57. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा, पो. रांची 834002
58. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरूवनन्तपुरम 695039
59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
61. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020

62. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440000
63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलोर 560002
64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017
66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
67. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001
69. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001
70. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001
71. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी विल्डिंग, कोलकाता 700001
72. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
73. महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001
74. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001
75. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लाकार भवन, गंगटोक 717101
76. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादूर 248001
77. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा, दमन दीव, पोस्ट पणजी, 403101
78. महालेखागार (लेखा एवं हक.) मध्यप्रदेश ग्वालियर 474001
79. वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
80. वेतन एवं लेखाधिकारी, तीस हजारी, दिल्ली 110006
81. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली
82. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
83. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

-------को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

PEkka
21/6/2017
(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव

शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर-371-6/2017-2,000.